2–विभिन्नभत्ते / मकान किराया / कोयला / धुलाई / वर्दी / संतान / शिक्षा / परिवार कल्याण /

अन्य भत्ते / पर्वतीय विकास भत्ता

क0सं0	विषय	शासनादेश संख्या / दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों के परिचारकों का अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।	सं0:–128 / xxvii(7)10(xiv) / 2011 दिनांक: 29 जुलाई, 2011	9–10
2	न्याय विभाग के अधिकारियों एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों को विशेष भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में समिति द्वारा की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन	सं0:–311 / xxvii(7)40(15) / 2011 दिनांक: 20 दिसम्बर, 2011	11–12
3	सीमान्त विकास खण्ड भत्ता अनुमन्य किया जाना।	सं0:–132 / xxvii(7)10(2) / 2011 दिनांक: 08 अगस्त, 2012	13–14

संख्या:128/XXVII(7)10(xiv)/2011

प्रेषक

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख सचिव/सचिव,
विधान सभा सचिवालय,राज्यपाल सचिवालय,
न्याय विभाग,कार्मिक विभाग एवं राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: २१ जुलाई,2011

विषय:–उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों के परिचारकों को अनुमन्य सचिवालय विशेष भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

शासनादेश संख्या:08/XXVII(7)10(XIV)/2011 दिनांक 31 मई,2011 उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों में कार्यरत परिचारक संवर्ग को न्यूनतम ₹650.00 उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु ग्रेड पे के 20 प्रतिशत की सीमा को प्रकरण विशेष के लिए शिथिल करते हुए तत्काल प्रभाव से अर्थात दिनांक 31–5–2011 से अनुमन्य किया गया है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के कम में सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों के परिचारको को भी सचिवालय विशेष भत्ता ₹650.00 की बढ़ी हुई दर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:08/XXVII(7)10(XIV)/2011 दिनांक 31 मई,2011 के जारी होने की तिथि के स्थान पर सचिवालय के परिचारकों को उक्त भत्ते की अनुमन्यता हेतु सचिवालय प्रशासन विविध(अधिष्ठान) अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 609/XXXI (3)/ 2010–11/2009 दिनांक 19 जुलाई,2010 के द्वारा निर्गत होने की तिथि से ही अनुमन्य करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– शासनादेश संख्या:08/XXVII(7)10(XIV)/2011 दिनांक 31 मई,2011 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और इसके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्याः 311 / xxvii(7)40(15) / 2011

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
न्याय विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0--07 देहरादूनःदिनांकः20 दिसम्बर,2011

विषयः–न्याय विभाग के अधिकारियों एवं मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों को विशेष भत्ता दिये जाने के संबंध में समिति द्वारा की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि न्याय अनुभाग–1 के शासनादेश संख्याः305 / XXXVI(1) (एक) / 2008–135 / 2007 दिनांक 03 अक्टूबर,2008 के क्रम में शासनादेश संख्याः80 / XXXVI(1) / 2011–135 / 2007 दिनांक 25 जुलाई,2011 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के टंकक / नैत्यिक लिपिक से निम्न तथा अनुभाग अधिकारी / समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त हो रहे विशेष भत्ते को दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में सुसंगत ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिनांक 01–04–2009 से पुनरीक्षित किया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्याः763 / सात–न्याय–1–2009–124 / 88 टी0सी0 दिनांक 21 मई,2009 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहबाद / लखनऊ में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों को संशोधित दरों पर विशेष भत्ता अनुमन्य किया गया है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद / लखनऊ में कार्यरत अनुभाग अधिकारी से उच्च पदधारकों को भी संशोधित दरों पर सचिवालय भत्ता अनुमन्य किया गया है।

समिति द्वारा यह संस्तुति की गई है कि न्याय विभाग के शासनादेश संख्याः305 / XXXVI(1)(एक) / 2008–135 / 2007 दिनांक 03 अक्टूबर,2008 के क्रम में शासनादेश संख्या 80 / XXXVI(1) / 2011–135 / 2007 दिनांक 25 जुलाई,2011 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के टंकक / नैत्यिक लिपिक से निम्न वेतनमान के पदधारकों से अनुभाग अधिकारी / समकक्ष वेतनमान के अधिकारियों को प्राप्त हो रहे विशेष भत्ते को दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों में सुसंगत ग्रेड वेतन का 20 प्रतिशत की दर से विशेष भत्ता दिनांक 01–04–2009 से पुनरीक्षित किया गया है। जिसमें अनुभाग अधिकारी / समकक्ष पदधारकों से उच्च पदधारकों को विशेष भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है। अतः शासनादेश संख्याः763 / सात–न्याय–1– 2009–124 / 88 टी0सी0 दिनांक 21 मई,2009 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में कार्यरत अनुभाग अधिकारी / समकक्ष पदधारकों से उच्च पदधारकों को भी उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 25 जुलाई,2011 के आधार पर संशोधित दरों पर 20 प्रतिशत विशेष भत्ता अनुमन्य किया जाए।

समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गई है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में टाईपराइटर मैकनिक का पद सृजित नहीं है, जबकि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में उक्त पद सृजित है। समस्त विभागों में कम्प्यूटर पर कार्य किया जा रहा है फलस्वरूप इस आधार

पर अब टाईपराइटर मैकनिक के पद को बनाये रखे जाने का औचित्य नहीं है। अतः उक्त पद पर कार्यरत पदधारक को भी उक्तानुसार सचिवालय भत्ता इस शर्त पर अनुमन्य होगा कि उक्त पद को डाईंग कैडर घोषित कर दिया जाए।

2- अतः समिति के द्वारा की गई उक्त संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कियान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्याः132/XXVII(7)10(2)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़, चमोली,उत्तरकाशी,
चम्पावत एवं उधमसिंहनगर,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांकः 08 अगस्त,2012

विषयः–सीमान्त विकास खण्ड भत्ता अनुमन्य किया जाना।

उत्तराखण्ड की तत्समय की विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड मण्डल में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए सीमान्त विशेष वेतन शासनादेश संख्याः2863/25–सी–एक्स0बी0–1960 दिनांक 05 अगस्त,1960 द्वारा स्वीकृत किया गया। उत्तराखण्ड मण्डल की भौगोलिक परिस्थिति में सुधार होने तथा परिस्थितियां पूर्व की अपेक्षा कुछ सामान्य हो जाने के कारण दिनांक 01 अप्रैल,1968 से संशोधित दरों पर सीमान्त विशेष वेतन अनुमन्य किया गया, जिसमें विशेष वेतन की अनुमन्यता के लिए 04 विकास खण्डों धारचूला, मुनस्यारी, जोशीमठ, भटवाड़ी (जिला उत्तरकाशी के मुख्यालय को छोड़कर) तथा उत्तराखण्ड के अन्य क्षेत्रों में एवं जिला उत्तरकाशी के मुख्यालय के लिए अलग–अलग दरें निर्धारित की गई। सीमान्त विशेष भत्ते की दरों में समय–समय पर परिर्वतन किया गया। अंतिम बार शासनादेश संख्याः1164/28–4–2000 दिनांक 31 मई,2000 द्वारा धारचूला, मुनस्यारी(पिथोरागढ़) जोशीमठ(चमोली) भटवाड़ी (उत्तरकाशी) एवं जिला चम्पावत के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जिला चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जनपद के अन्य क्षेत्रों के लिए अलग–अलग दरें निर्धारित की गई। राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित सीमान्त भत्ता राज्य निधि से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इण्टर कालेजो तथा बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को भी अनुमन्य किया गया।

2. वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में शासनादेश संख्याः39/XXVII (7) प0वि0भ0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 द्वारा सीमान्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य सीमान्त विशेष भत्ता समाप्त कर उसके स्थान पर संशोधित दरों पर पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किया गया। सीमान्त भत्ते के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सीमान्त जनपदों के विकास खण्डों की प्रास्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी, कन्यालीछीना तथा मुनाकोट, जिला चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ, जिला उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी एवं जिला चम्पावत के विकास खण्ड चम्पावत, लोहाघाट तथा जिला उधमसिंहनगर के विकास खण्ड खटीमा में कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य पर्वतीय विकास भत्ता

तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुएनिम्नांकित दरों पर सीमान्त विकास खण्ड भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	ग्रेड वेतन	धनराशि ₹ में
1	ग्रेड वेतन ₹5400, उससे उच्च ग्रेड वेतन तथा एच0एजी0 वेतनमान के पद	1300
2	ग्रेड वेतन ₹5400 से कम वेतनमान के पद	1000

3– शासनादेश संख्याः39 / XXVII(7)प0वि0भ0 / 2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 132 (1) / XXVII(7)10(2) / 2011 तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़, चमोली,उत्तरकाशी,उधमसिंहनगर।
8. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. निदेशक एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।